GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय : शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकूला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में

राज्य के सभी
1. जिला शिक्षा अधिकारी
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
3. जिला परियोजना समन्वयक
4. खंड शिक्षा अधिकारी
5. खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी
6. सभी संकुल मुखिया, प्रभारी
7. सभी विद्यालयों के मुखिया, प्रभारी
8. अध्यक्ष, स्कूल प्रबंधन समिति

यादी क्रमांकः– KW 20/1-2016 ACD (1)
दिनांकः– 07.03.2024

विषयः **राज्य को जीरो ड्रॉप आऊट बनाने व राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024–25 के तहत "प्रवेश-उत्सव" कार्यक्रम आयोजित किए जाने बारे।**

****

उपरोक्त के विषय के संदर्भ में उल्लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुपालना में पूर्व प्राथमिक से 18 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना मुख्य लक्ष्य है। हालांकि राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 100 प्रतिशत नामांकन, ठहराव बनाए रखना, अवस्थांतर करवाना उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 व 3 की अनुपालना में अनिवार्य अंग है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि NER/GER को समुचित किया जाए। इसमें इसे वर्ष 2030 तक 100 प्रतिशत करने पर बल दिया गया है तथा उच्चतर शिक्षा में इसे 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना है। शिक्षा विभाग तथा सभी स्कूल मुखियाओं एवं अध्यापक समाज को इस पर व्यापक ध्यान देने की आवश्यकता है।

विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाए जाने के लिए उठाए जा रहे कल्याणकारी कदमः–

1. विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा समय–समय पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है तथा राज्य में सरकारी स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने का निरंतर प्रयास किया जाता रहा है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को लागू करना, निशुल्क शिक्षा के प्रावधानों के लिए समुचित बजट व्यवस्था करना शामिल है। विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैः–

- विभाग की गुणात्मक सुधार के प्रति वचनबद्धता।
- उच्च शिक्षा प्राप्त प्रशिक्षित एवं मेहनती अध्यापक ।
- सी.सी.ई. के अन्तर्गत नियमित मूल्यांकन एवं SAT के माध्यम से परीक्षा (Avsar Mobile App)
- प्रत्येक शनिवार ज्वायफुल सेटरडे (खेल–खेल में शिक्षा)।
- NEET तथा IIT/JEE का निःशुल्क प्रशिक्षण तथा शानदार परिणाम (सुपर–100)
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण (मिशन बुनियाद)
- प्रत्येक माह बच्चे की प्रगति के बारे में अभिभावक के साथ बैठक (PTM)
- मुफ्त वर्दी, पुस्तकें, स्कूल बैग, स्टेशनरी (कक्षा पहली से आठवीं तक)।
- निःशुल्क स्वास्थ्य जॉच एवं उपचार (बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) SEHAT Programme
- अनुसूचित जाति के कक्षा छठी एवं नौंवी के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त साइकिल सुविधा।
- मेधावी विद्यार्थियों के लिए अनेक प्रकार की छात्रवृति सुविधा।
- SC/BC-A/BPL बच्चों के लिए मासिक व वार्षिक प्रोत्साहन राशि।

PRINCIPAL
PM SHRI GSSS MUSSIMBAL-0185
B. BILASPUR (YNR)

- स्वच्छ एवं पौष्टिक मध्याहन भोजन (Mid-Day-Meal)
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सहपाठ्य गतिविधियां जिसमें खेल, योग, नृत्य, गायन पेंटिंग इत्यादि को प्रोत्साहन व खेलो इण्डिया खेलो स्कूल गेम में शानदार प्रदर्शन (कला उत्सव तथा बाल रंग)।
- छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना का विस्तार करते हुए विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के अन्तर्गत एक किलोमीटर से अधिक दूरी के स्कूल में जाने की निःशुल्क व्यवस्था अब लड़कों के लिए भी उपलब्ध है।
- प्रत्येक विद्यालय में विज्ञ क्लब के माध्यम से गतिविधियां, कौन बनेगा लखपति प्रतियोगिता।
- स्किल पासबुक, कक्षा तत्परता, शिक्षण संवर्धन कार्यक्रम तथा कैचअप कार्यक्रम।
- Foundational Literacy and Numeracy (FLN) Programme/NIPUN Programme
- शानदार खेल सुविधा एवं प्रतियोगिताओं में भागीदारी।
- जीवन कौशल शिक्षा, परामर्श एवं मार्गदर्शन व्यवस्था।
- कलस्टर विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रयास किए गए जैसे STEM लैब की स्थापना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के तहत कलस्टर विद्यालयों का सशक्तिकरण, कलस्टर प्रबन्धन समिति तथा कलस्टर विकास योजना।
- 1420 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों (GMSPS) की स्थापना की गई।
- 146 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों (GMSSSS) व 124 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना।
- Schools for Rising India राज्य में संचालित हैं जिनमें GMSSSS की भांति सभी ढांचागत सुविधायें उपलब्ध है।
- NDA की कोचिंग के लिए विशेष प्रबन्ध।
- ई अधिगम योजना जिसमें कक्षा 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट एवं 2 GB Internet सुविधा।

23 मार्च 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक आयोजित होने वाले नामाकन व **प्रवेश उत्सव** कार्यक्रम में उपरोक्त सुविधाओं को आम नागरिकों, विद्यार्थियों तथा अभिभावकों तक पहुँचाने के लिए राज्य के विद्यालयों में एस०एम०सी० तथा स्कूल मुखियाओं द्वारा मिलकर दाखिला सम्बन्धी सूचना का बैनर (गैर सरकारी विद्यालयों की भांति) लगाया जाना है। गत वर्ष कुछ विद्यालयों (SMC) द्वारा यह प्रयास भी किया गया जो सफल रहा। जिन विद्यालयों में 10+1 विज्ञान संकाय है विशेषकर ऐसे विद्यालय अपने क्षेत्र के बच्चों को (सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों से 8 वीं और 10 वीं पास वाले बच्चों को) स्कूलों में लेकर आयें। इसके लिए **प्रवेश उत्सव** की तिथियों में विशेष नामांकन अभियान चलाया। ऐसे बच्चों का दाखिला उसके घर जाकर किया जाए। ऐसे माता–पिता जो अपने बच्चों की शिक्षा जारी रखने में अरूचि दिखाते है तथा जिनके ड्रापआउट होने की संभावना है, उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाये तथा बच्चों के दाखिले हेतु अभिप्रेरित किया जाये। इसके लिए दिनाक 23.03.2024 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के शहीदी दिवस के अवसर पर **प्रवेश उत्सव** आरम्भ करके दिनांक 13.04.2024 बैसाखी तक एक योजनाबद्ध व्यापक जन सम्पर्क अभियान चलाया जायें तथा स्कूल स्तर पर भी निम्नानुसार कार्यक्रम किया जाना है:–

1. **दाखिला आरम्भ:–** सभी राजकीय विद्यालयों में दाखिला 01 अप्रैल से आरम्भ किया जाना है। प्रत्येक स्कूल इस सन्दर्भ में व्यापक प्रचार–प्रसार करे तथा प्रत्येक बच्चे तक पहुँच सुनिश्चित करे।

2. **परीक्षा परिणाम की घोषणा:** 31 मार्च को रविवार होने के कारण सभी राजकीय विद्यालयों में 30 मार्च 2024 को वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किये जायें। इसी दिन बच्चों को अगली कक्षा की पुस्तकों का अनिवार्य वितरण किया जाए।

3. **अवस्थान्तर (Transition) के लिए प्रयास:–** पांचवीं कक्षा को पास करने वाले विद्यार्थियों का अगली कक्षा में उसी दिन नामांकन कर दिया जाये। जिन पांचवीं पास विद्यार्थियों के गांव में उच्च प्राथमिक स्कूल नहीं है, उस मामले में प्राथमिक स्कूल मुखिया 01 अप्रैल को सभी पांचवीं पास बच्चों को विद्यालय में बुलायें तथा प्रार्थना पत्र पर माता–पिता के हस्ताक्षर करवाने हेतु बच्चों को दें। इस सन्दर्भ में अन्य औपचारिकताएं भी 01 अप्रैल को पूरी कर ली जाएं जिसमें Online SLC जारी करना भी शामिल हो। इसी दिन स्कूल मुखिया अपने विद्यार्थियों का समूह लेकर पड़ोस के नये उच्च प्राथमिक विद्यालय में वांछित रिकार्ड के साथ जायें तथा विद्यार्थियों का दाखिला करवा कर कक्षा अध्यापक से बच्चों का परिचय करवा कर आयें। नये स्कूल का कक्षा प्रभारी एवं स्कूल मुखिया बच्चों को 02 अप्रैल से निरंतर रूप से स्कूल आने हेतु अभिप्रेरित करें। नये स्कूल में बच्चों का स्वागत तिलक

PRINCIPAL
PM SHRI GSSS MUSSIMBAL-0185
B/ BILASPUR (YNR)

लगाकर, गले में फूल माला डालकर किया जाए। पांचवीं कक्षा से छठी कक्षा में अवस्थान्तर (Transition) को 100 प्रतिशत किया जाए। नये दाखिल विद्यार्थियों को उसी दिन पाठ्य पुस्तकें दे दी जाए।

4. दाखिला प्रक्रिया एवं सूचनाः– दाखिला सम्बन्धित सभी औपचारिकतायें उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारा तुरन्त प्रभाव से पूरी कर दी जायें। किसी भी बालक को किसी भी अवस्था में दाखिले से वंचित न किया जाए। इस सन्दर्भ में माता–पिता और विद्यार्थी को स्पष्ट अवगत करवा दिया जाये कि अब दाखिला सम्बन्धी कोई प्रक्रिया या कार्य बाकी नहीं है। बच्चे अपनी पढ़ाई आरम्भ कर सकते हैं।

5. आठवीं से नौवी में अवस्थान्तर (Transition):– आठवीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का दाखिला भी इसी प्रकार किया जाये क्योंकि सबसे ज्यादा Dropout कक्षा 9 में होता है विशेषकर लड़कियां इससे प्रभावित होती है। इस सन्दर्भ में उन बालिकाओं की अवश्य पहचान कर ली जाये जिनके माता–पिता उन्हें नौवीं कक्षा में पढ़ाना नहीं चाहते। कक्षा नौवीं के दाखिले के सन्दर्भ में तिथि 01 अप्रैल से 13 अप्रैल रखी गई है तथा इसका प्रचार–प्रसार भी पड़ोस क्षेत्र में सम्बन्धित विद्यालय द्वारा किया जाए। नौवी कक्षा में तुरन्त 01 अप्रैल से ही पठन–पाठन आरम्भ कर दिया जाये।

6. कक्षाओं का आरम्भः कक्षायें अप्रैल मास में तुरन्त आरम्भ कर दी जायें क्योंकि इस मास में फसल कटाई आरम्भ हो जाती है जिसमें माता–पिता और विद्यार्थी लगभग 20 दिन के लिए व्यस्त हो जाते हैं और अधिकतर माता–पिता मई मास में ही स्कूल से सम्पर्क करते हैं।

7. दाखिला रिपोर्ट संकलनः– 10 अप्रैल तक बच्चों के दाखिले की रिपोर्ट बनाकर प्रत्येक विद्यालय, खण्ड एवं जिला स्तर पर उपलब्ध करवायें तथा यदि कोई बच्चा इस दौरान छूट गया है तो उसकी सूचना अलग से तैयार की जाये। प्रत्येक ऐसा विद्यार्थी जिसका स्कूल बदल रहा है जैसे पांचवीं से छठी में, आठवीं से नौवी में तथा दसवीं से ग्यारहवीं में, उसके SKN से उसका दाखिला अगली कक्षा अथवा अगले स्कूल में करवाना पिछले स्कूल की जिम्मेवारी होगी।

कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा निम्नानुसार हैः–

तालिका । दाखिले की तिथि (01.04.2024 से 13.04.2024)

कमांक	गतिविधि	दायित्व	तिथि
1	परीक्षा परीणाम की घोषणा तथा कक्षा 1 से 8 की पाठय पुस्तकों का वितरण	कक्षा प्रभारी, स्कूल मुखिया	30.03.2023
2	पड़ोस विद्यालय की (जहां बच्चा कक्षा 6 या कक्षा 9 में दाखिला लेगा) सूची उपलब्ध करवाना	कक्षा प्रभारी, स्कूल मुखिया	01.04.2024
3	यदि बच्चा अगली कक्षा में उसी विद्यालय में जा रहा है तो नामांकन (सभी कक्षाओं के संदर्भ में) करना	कक्षा प्रभारी, स्कूल मुखिया	30.03.2024
4	पड़ोस विद्यालय में कक्षा प्रभारी या स्कूल मुखिया से दाखिले हेतु छोटे स्कूल द्वारा संपर्क	छोटे स्कूल का कक्षा प्रभारी या स्कूल मुखिया	01.04.2024 से 07.04.2024
5	सभी प्रकार के दाखिला फार्म भरना, अन्य बैंक खाता औपचारिकताओं को पूरा करना तथा Skill Passbook भरना इत्यादि	बड़े स्कूल का कक्षा प्रभारी या स्कूल मुखिया	01.04.2024 से 10.04.2024
6	कक्षाओं का निर्बाध रूप से आरंभ	सभी कक्षा प्रभारी, विषय अध्यापक एवं स्कूल मुखिया	01.04.2024
7	दाखिला संबंधी रिपोर्ट लेना	ABRC/CRC/SIM/BEO/BEEO	दाखिला समाप्त होने तक

नोटः– हालांकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के दौरान किसी भी समय दाखिले से वंचित नहीं किया जा सकता परंतु कक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए माता–पिता और अभिभावकों को इस प्रकिया की अनिवार्यता बारे अवश्य अवगत करवाया जाए। देरी से होने वाले दाखिले बच्चे की न्यूनतम शैक्षणिक दिवस और न्यूनतम शैक्षणिक घंटो को प्रभावित करते हैं। किसी भी समय दाखिले का प्रावधान प्रवासी बच्चों के शिक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए है। इससे सामान्य बच्चों पर नकरात्मक प्रभाव न पड़े इसके लिए प्रयास जरूरी है।

CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के दाखिले के सन्दर्भ में

CWSN बच्चों का दाखिला, नये स्कूल वातावरण में समायोजन, बालक तथा अभिभावक दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। विशेष आवश्कता वाले बालकों के सम्बन्ध Special Teacher अपना विशेष योगदान दें। CWSN बच्चों को transition दौरान अधिक कठिनाई होती है। अतः व्यक्तिगत रूचि लेकर उन्हें नये स्कूल में समायोजित किया जाये। यदि यातायात की आवश्यकता है तो बच्चों की पूरी सूची बनाकर तुरंत यातायात प्रबन्ध का प्रस्ताव दिया जाये। बच्चा किसी भी हालात में आगे बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने से वंचित न रहे इसके लिए निम्न बिन्दुओं पर Special Teacher कार्य करें:–

PRINCIPAL
PM SHRI GSSS MUSSIMBAL-0185
BILASPUR (YNR)

1. अनिवार्य दाखिला या अंतरस्थांतर (प्रत्येक दाखिल बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देना तथा उसके दाखिला प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना)।

2. बालक का नये विद्यालय/कक्षा में समायोजन (यातायात, कक्षा–कक्षा का बाधामुक्त वातावरण, कक्षा में सीट का प्रबन्ध, रोशनी व्यवस्था आदि)।

3. बालक की IEP का नये स्कूल के अध्यापकों को हस्तांतरण (सम्पूर्ण जानकारी क्षमताओं और कमजोरियों का पूरा आंकलन, विवरण आदि)।

4. बालक की special need जैसे सहायक उपकरण तथा उपलब्ध गुणों की पूरी जानकारी का नये स्कूल/अध्यापकों के साथ चर्चा।

5. यातायात व्यवस्था के प्रबन्ध सम्बन्धी सभी औपचारिकतायों (यातायात का साधन, घर से दूरी, घर का पूरा पता, रूटचार्ट आदि) को पूरा करना।

6. सहपाठियों से समावेश (आवश्यक प्रशिक्षण, सहपाठ्य क्रियाओं में समावेश)।

7. आरम्भ के दो मास बच्चों का अवलोकन एवं निरूपण आदि।

बैंक खाते, परिवार पहचान पत्र (PPP) तथा अन्य हकदारियां:–

बच्चों के दाखिले के समय नये स्कूल/कक्षा को बालक सम्बन्धी सभी दस्तावेज पूर्ण विवरण सहित स्कूल रिकार्ड का अवलोकन एवं मिलान कर उपलब्ध करवाया जाये जिसमें उसकी श्रेणी का सही उल्लेख हो ताकि उसकी छात्रवृत्ति व अन्य हकदारियां प्रभावित न हो। इसके लिए उसके बैंक खाते तथा परिवार पहचान पत्र (PPP) सम्बन्धी सभी सूचना सही उपलब्ध करवाई जाये। यदि नये स्कूल का बैंक खाता अन्य बैंक में है तो इस बारे भी नये स्कूल को अवगत करवाया जाये। पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों की बैंक खाता खोलने की पूरी प्रक्रिया दाखिला देने के दौरान ही पूरी कर ली जाए। ऐसा न हो कि विद्यार्थी बैंक खाते के अभाव में निःशुल्क हकदारियों से वंचित रह जाए। इस वर्ष परिवार पहचान पत्र (PPP) के माध्यम से ही सभी प्रकार की DBT की जायेगी। अतः सभी विद्यार्थियों का PPP अवश्य पूरा करवायें। विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना का लाभ पात्र विद्यार्थियों को तुरन्त दिया जाए। निम्नानुसार समय–सारणी का अनुपालन करना अति आवश्यक है:–

तालिका–II

क्र0	गतिविधि	दायित्व	समय सीमा
1.	कक्षा पांचवी, आठवीं पास करने वाली बालिकाओं को चिन्हित करना।	कक्षा प्रभारी स्कूल मुखिया	30.03.2024
2.	कक्षा पांचवी, आठवीं पास करने वाली बालिकाओं का दाखिला अगली कक्षा में करवाना।	कक्षा प्रभारी स्कूल मुखिया	01.04.2024 से 08.04.2024
3.	कक्षा पांचवी, आठवीं पास करने वाली जिन बालिकाओं ने दाखिला अगली कक्षा में नहीं लिया है उनकी पहचान करना।	कक्षा प्रभारी स्कूल मुखिया	09.04.2024
4.	क्रमांक 3 के अनुसार पहचान की गई बालिकाओं के माता–पिता से व्यक्तिगत सम्पर्क करना।	कक्षा प्रभारी स्कूल मुखिया	10.04.2024 से 12.04.2024
5.	क्रमांक 3 के अनुसार पहचान की गई बालिकाओं की सूचना एस0एम0सी0, BEO, BEEO को उपलब्ध करवाना।	कक्षा प्रभारी स्कूल मुखिया	13.04.2024

<u>विज्ञापन एवं IEC:-</u> स्कूल मुखियाओं द्वारा विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों के साथ विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाओं के पोस्टर, बैनर बनाने बारे व उक्त कार्य हेतु 5,000/– रूपये खर्च करने की योजना बनाई जाए। यह राशि स्कूल में उपलब्ध किसी भी मद में से खर्च की जा सकती है।

<u>प्रवेश उत्सव का विद्यालय स्तरीय आयोजन:–</u>विद्यालय प्रांगण में सभी अध्यापकों एवं SMC सदस्यों के साथ मिलकर मनाया जाएगा जिसमें वार्ड/गाँव के गणमान्य सदस्य, दानदाता, NGO/ Foundation के सदस्य, सेवानिवृत कर्मी, सेना कर्मी, धार्मिक नेता इत्यादि को आमंत्रित किया जाए ताकि Zero Dropout मुहिम में सबका योगदान लिया जा सके।

डेटा एवं ससाधन:– 23 मार्च, 2024 को प्रत्येक विद्यालय अपने नेबरहुड क्षेत्र में सर्वे आरम्भ करेगा जिसके अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग, परिवार पहचान पत्र तथा विभाग के Dropout SRN के आधार पर डोर टू डोर सर्वे करके Out of School बच्चों की पहचान करेगा जिसमें Dropout तथा Non Starter दोनों प्रकार के बच्चे होंगे। SRN का ड्रॉप आऊट का डाटा PPP का डाटा जिला मुख्यालय द्वारा खंड के माध्यम से स्कूलों तक पहुंचाया जाए।

PRINCIPAL
PM SHRI GSSS MUSSIMAL-0107
B. BILASPUR (YNR)

जीरो ड्रापआउटः— सभी विद्यार्थियो जो पिछले 3 वर्षों में Dropout हुए हैं, उन्हें विद्यालय में लाया जाना अति आवश्यक है, इसके लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जानी हैः—

1 प्रत्येक गाँव / वार्ड स्तर पर स्कूलवार डेटा लेकर सभी Dropout विद्यार्थियों की पहचान की जाए। उनके जो भी नेबरहुड क्षेत्र तथा नेबरहुड विद्यालय है उसके माध्यम से कार्यवाही की जाए।

2 आंगनवाड़ी रजिस्टर, जन्म मृत्यु रजिस्टर, CMO कार्यक्रम, Village Education Register से आंकड़ा लिया जाए ताकि सभी प्रकार से कोई भी विद्यार्थी न छूटे।

3. सभी Dropout में Non Starter, Never Admit की अलग से पहचान की जाए।

4 कलस्टर स्तर पर टीम बनाकर, समूहों में बांटकर गाँव, वार्ड में घर—घर जाकर मिलान किया जाए तथा विद्यार्थी इस समय कहां है उसका विवरण लिखा जाए। PPP का डाटा इसके लिए प्रयोग किया जाए।

5 प्रत्येक विद्यालय अपने नेबरहुड क्षेत्र को Zero Dropout घोषित करेगा, यह दायित्व स्कूल मुखिया की अध्यक्षता वाली टीम को सौंपा जाए। ऐसे विद्यार्थी जो न किसी स्कूल (प्राइवेट / सरकारी) में हैं, न राज्य छोड़कर गये हैं, उन्हें Dropout श्रेणी में रखा जाए तथा नामांकन के लिए समुचित कार्यवाही की जाए।

6 इसके लिए निम्नानुसार टीम बनाई जानी हैः—

(i) **विद्यालय स्तर परः—**

(a) सभी अध्यापक तथा स्कूल मुखिया इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसमें मिड डे मिल वर्कर, हैल्पर, आंगनवाडी विभाग के कर्मी, गाँव के नम्बरदार, शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय MC इत्यादि को शामिल किया जाए। प्रत्येक वार्ड / गाँव को विभिन्न हिस्सों में बांटकर कार्यवाही की जाए। जैसे परिवार पहचान पत्र (PPP) का डेटा Tagging के लिए दिया जाता था उसी प्रकार स्कूल में उपलब्ध अध्यापक संख्या में बांटा जाए।

(b) शहरी क्षेत्रों में आवेदन अधिक आते हैं विशेषकर राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों में जहां माता—पिता का रूझान अधिक है। उक्त विद्यालयों में समुचित कमरे न होने के कारण सभी आवेदक विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया जा सकता। नये कमरे बनाने तुरंत संभव नहीं हैं क्योंकि अधिकतर विद्यालयों में कमरे बनाने की जमीन भी उपलब्ध नहीं है जिसके कारण बहुत से बच्चे उक्त विद्यालयों में दाखिले से वंचित रह जाते हैं। अतः निर्णय लिया गया है कि जैसे चंडीगढ़ शहर में सभी राजकीय विद्यालय दोहरी पारी में चलते हैं ऐसे ही राजकीय विद्यालयों को भी दोहरी पारी में चलाया जाए। इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है ताकि वह इसके लिए समुचित निर्देश जारी कर सकें।

(ii) **कलस्टर स्तर परः—** सभी विद्यालयों के मुखिया सम्बन्धित ABRC, CRC तथा स्थानीय ग्राम पंचायतों के सचिव, वार्ड के प्रतिनिधि की सांझी कमेटी बनाई जाए। यह कमेटी पूरे कलस्टर की Zero Dropout Policy के तहत कार्य करने के लिए जिम्मेवार होगी।

(iii) **खण्ड स्तर परः—** खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने सभी ABRC, BRP, IOLM तथा CRC सदस्यों, प्रधानाचार्यों के साथ टीम के रूप में कार्य करेंगे तथा पूरे खण्ड के लिए जिम्मेवार होंगे। BEO तथा BEEO सांझी योजना बनाकर कार्य करेंगे।

(iv) **जिला स्तर परः—** पूरे जिले में DEO इसके प्रभारी होंगे जबकि DEEO सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। DPC कार्यालय का पूरा स्टाफ जिसमें सभी APC को शामिल किया जाएगा, इसके अतिरिक्त जिले की DIET के प्रधानाचार्य तथा सभी स्टाफ सदस्य इस टीम का हिस्सा होंगे। यह सभी सदस्य कम से कम दो से तीन कलस्टर के भी प्रभारी होंगे ताकि कलस्टर में हो रहे कार्यों के साथ सीधे सम्पर्क रखते हुए प्रगति का अवलोकन हो सके। अन्य दोनों उप जिला शिक्षा अधिकारी भी खण्ड का पर्यवेक्षण करेंगे।

(v) **राज्य स्तरीय टीमः—**इसमें DGEE महोदय की अध्यक्षता में निदेशालय के अधिकारियों की टीम कार्य करेगी जो सीधे तौर पर पूरे राज्य के जिलों में Zero Dropout Policy को लागू

PRINCIPAL
PM SHRI GSSS MUSSIMBAL-0185
BILASPUR (YNR)

करने तथा Zero Dropout बनाने का दायित्व लेगी। इस टीम के सदस्य प्रति सप्ताह कम से कम दो जिलों में बैठक करेंगे तथा प्रगति का अवलोकन करेंगे। यह सदस्य सीधे रूप में DGEE की योजना को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इनकी पूरी योजना में निम्नानुसार कार्य शामिल रहेंगे:–

(a) जिला स्तरीय टीम के साथ कार्यक्रम साझा करना तथा उनका मार्गदर्शन करना।

(b) जिले को साप्ताहिक लक्ष्य प्रदान करना तथा उनकी प्रगति का अवलोकन करना।

(c) जिला स्तरीय टीमों की विभिन्न बैठकों का आयोजन करना।

(d) योजना का धरातल पर क्रियान्वयन की समीक्षा करना।

(e) विभिन्न Data Base/ Platform/ प्रक्रिया पर प्रगति रिपोर्ट भरना।

(f) DGEE को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

उत्कृष्ट प्रयास करने वाले विद्यालयों को प्रशंसा पत्र/सम्मानः– उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यालयों, अध्यापको, SMC तथा पंचायतों को प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। इसमें सरपंचों एवं पंचायतों को माननीय ACSSE महोदय से धन्यवाद का अर्ध–सरकारी पत्र लिखवाया जाना प्रस्तावित है। विद्यालयों को प्रशंसा पत्र, स्वर्ण पत्र, रजत पत्र तथा ताम्र पत्र दिए जाने का प्रस्ताव है जो एक Certificate होगा तथा जिसे विभाग एक सभागर में आंवटित करेगा।

प्रशंसा पत्र प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्ते एवं निर्धारित लक्ष्यः–

1. 100% नामांकन (Admission) करना, 100% अवस्थांतर (Transition) करना तथा 30 मई तक 100% ठहराव (Retention) सुनिश्चित करना, Zero Dropout के लक्ष्य को प्राप्त करना। इसके साथ–साथ वर्ष 2023–24 की छात्र संख्या में कम से कम 30% वृद्धि करता है तो स्वर्ण पत्र प्रशंसा का पात्र होगा।
   (न्यूनतम छात्र संख्या की वृद्धि में 50 छात्रों की वृद्धि अनिवार्य है)
2. स्कूल की षैक्षणिक वर्श 2023–24 की छात्र संख्या में कम से कम 20% वृद्धि करता है तो रजत पत्र प्रषंसा का पात्र होगा।
   (न्यूनतम छात्र संख्या की वृद्धि में 30 छात्रों की वृद्धि अनिवार्य है)
3. स्कूल की शैक्षणिक वर्ष 2023–24 की छात्र संख्या में कम से कम 15% वृद्धि करता है तो ताम्र पत्र प्रशंसा का पात्र होगा।
4. (न्यूनतम छात्र संख्या की वृद्धि में 20 छात्रों की वृद्धि अनिवार्य है)
   कुल छात्र संख्या में वृद्धि के सन्दर्भ में % की शर्त तथा न्यूनतम छात्र नामांकन की शर्त में से जो भी अधिकतम हो वो मान्य होगी।

नोटः–

1. **गैर अवस्थांतर कक्षाओं के अतिरिक्त यदि अन्य कक्षाओं में किसी भी विद्यालय की छात्र संख्या कम होती है, विद्यार्थी Dropout होते हैं तथा Dropout होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5% से अधिक होती है तो स्कूल सीधे अनुशासनात्मक कार्यवाही के पात्र, होंगे (प्रत्येक स्कूल द्वारा 100% ठहराव तथा अवस्थांतर) Retention and Transition सुनिश्चित करने के लिए ही यह व्यवस्था बनाई जाए।**
2. **राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों के लिए लक्ष्य का निर्धारण उपलब्ध सीटों तथा भवन के अनुसार होगा।**

सहायक निदेशक (शैक्षणिक)
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला

पृष्ठाकन क्रमांकः सम

दिनांक 07.03.2024

उपरोक्त की एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, माननीय महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. निजी सहायक, माननीय निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
3. सहायक प्रबन्धक, माननीय राज्य परियोजना निदेशक, HSSPP, पंचकूला।

सहायक निदेशक (शैक्षणिक)
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला

PRINCIPAL
PM SHRI GSSS [illegible]
B. BILASPUR (YNR)